

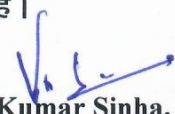
BHRC/COMP-2860/18

दिनांक : 07.01.2022

प्रस्तुत संचिका में आवेदिका से प्राप्त आवेदन जिसके द्वारा आवेदिका ने उनके निर्दोष नाबालिग पुत्र को कोचिंग जाते समय जबरन गिरफ्तार कर बलपूर्वक हथकड़ी लगाकर ले जाने तथा मारपीट करने तथा बालिग अपराधी की तरह बनाकर जेल भेज दिये जाने का आरोप लगाया था, संधारित की गई है। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर से प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात, संचिका अपर पुलिस महानिदेशक राज्य आयोग का विस्तृत जाँच हेतु भेजा गया था तथा उपरोक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम धारा 17 के तहत जांच करते हुए आयोग ने अपने निष्कर्ष में आवेदिका के पुत्र के गिरफ्तारी के संबंध में नाबालिग होना पाया और यह भी पाया की हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर थाना ले गया तथा शैक्षणिक प्रमाणपत्र दिखाये जाने के बावजूद उन्हें जेल भेज दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इसे **Juvenile Justice (care and Protection of Children) Act 2015** तथा मानवाधिकार उल्लंघन का मामला मानते हुए दिनांक 17.08.2021 के आदेश के द्वारा मुख्य सचिव बिहार कार्यालय को कारण पृच्छा जारी करने का निर्देश दिया गया था कि क्यों नहीं पुलिस द्वारा इस तरह किये गये मानवाधिकार उल्लंघन के लिए आवेदिका को 25 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाय। कारण पृच्छा 6 सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया गया था परन्तु सरकार के विशेष सचिव के द्वारा पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर का प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके द्वारा पुनः गिरफ्तारी को सही करार देने की कोशिश की जा रही है।

राज्य आयोग पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त कर, तथा सभी पक्षों को अपना पक्ष रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि आवेदिका के पुत्र को नाबालिग होने के बावजूद तथा शैक्षणिक प्रमाणपत्र दिखाने के पश्चात गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया गया। अतः इसे मानवाधिकार उल्लंघन का मामला माना गया है और पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुनः विचार करने पर अधिकार राज्य आयोग को नहीं है क्योंकि राज्य आयोग को पूर्णविचार का अधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं है।

अतः आवेदिका के पूत्र को नबालिग होने के बावजूद हथकड़ी में प्रस्तुत किये जाने **Juvenile Justice (care and Protection of Children) Act** का उल्लंघन स्पष्ट है तथा साथ ही उपरोक्त एक्ट के भावना के विरुद्ध है जो स्पष्ट आवेदिका के अधिकार का उल्लंघन है अतः आवेदिका को 25,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का निर्देश सरकार को दिया जाता है। आदेश की प्रति मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह एवम् पुलिस महानिदेशक को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कारवाई हेतु भेजने का निर्देश दिया जाता है।


(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson